

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी / 24 / 493

दिनांक: 30/12/2024

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद लालसोट की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र. सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत, / राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण
01.	दौसा	लालसोट	ग्राम पंचायत डीडवाना (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र), ग्राम पंचायत चांदसेन का राजस्व ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 6, सालगरामपुरा चक नं0 7, राजस्व ग्राम चांदसेन का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत राजोली का राजस्व ग्राम राजोली, चक राजोली, श्योन्दा की झोपडीयां, (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र)

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( कुमार पाल गौतम )  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid



Digitally signed by Kumar Pal  
Gautam  
Designation : Director  
Date: 2024.12.30 11:32:01 IST  
Reason: Approved

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/ 494-525 दिनांक: 30/12/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर परिषद लालसोट में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त **जयपुर** ।
10. **जिला कलेक्टर** दौसा को भेजकर निवेदन है कि नगर परिषद लालसोट की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त, नगर परिषद लालसोट।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत डीडवाना को राजस्व ग्राम डीडवाना (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र), ग्राम पंचायत चांदसेन का राजस्व ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 6, सालगरामपुरा चक नं0 7, चांदसेन का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत राजोली का राजस्व ग्राम राजोली, चक राजोली, श्योन्दा की झोपडीयां (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र) द्वारा आयुक्त नगर परिषद लालसोट।
18. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव  
Digitally signed by Kumar Pal  
Gautam  
Designation : Director  
Date: 2024.12.30 11:32:01 IST  
Reason: Approved